(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त गंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 26/2020-सीमा शुल्क
नई दिल्ली, दिनांक 2 जून, 2020

सा.का.नि... (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की
उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैक्स अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप
d्वारा (12) के तहत प्रदत्त शास्त्रियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संबंधित होते
हुए कि ऐसा करना जनहित से आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त गंत्रालय (राजस्व
विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे
सात.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के
भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, और आगे भी निम्नलिखित
संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,
(क) सारणी में, क्रम संख्या 217 और उससे संबंधित प्रतिविधियों के पश्चात, निम्नलिखित
क्रम संख्या और प्रतिविधियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;217.&quot;</td>
<td>0713 40 00</td>
<td>मसूर</td>
<td>10%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 217 | 0713 40 00 | मसूर, संयुक्त राज्य अमेरिका में 
उत्पादित या वहाँ से नियोजित | 30% | - | - |

(ख) पहले परंतुक में, उपवक्य (घ) के पश्चात निम्नलिखित उपवक्य को अंतःस्थापित
किया जाएगा, यथा :-

"(घ.) 31 अगस्त, 2020 के पश्चात उक्त सारणी के क्रम संख्या 217. और 217 के
समक्ष विनिर्दिष्ट वस्तुएं"

| फाइल संख्या 354/368/2017-सीआसू |

श्री विप्रकाश बिहारी
(सीआसू सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को
सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के
भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना
संख्या 23/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 14 मई, 2020, जिसे सा.का.नि. 296 (अ), दिनांक
14 मई, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।